महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्याः 880/8–2/3(जी)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2009–10

प्रेषकः

प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास
उत्तराखण्ड शासन।

अपर सचिव
कृषि
उत्तराखण्ड शासन।

प्रेषितः

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तराखण्ड।

महात्मा गांधी नरेगा प्रकोष्ठ, ग्राम्य विकास विभागः देहरादूनः **दिनांकः जनवरी 08, 2018**

विषय :महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में कृषि विभाग की योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण/युगपतीकरण किये जाने विषयक।

महोदय,

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अपेक्षानुरूप महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विभिन्न रेखीय विभागों के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से अधिकाधिक स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जाना है।

उक्त परिपेक्ष्य में मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 29 नवम्बर 2017 को महात्मा गांधी नरेगा केन्द्राभिसरण की समीक्षा बैठक आहूत की गई थी जिसमें महोदय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक स्तर पर किये जाने तथा गुणवत्तापूर्ण केन्द्राभिसरण के उद्देश्य से रेखीय विभागों के साथ संयुक्त शासनादेश जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि महात्मा गांधी नरेगा की अनुसूची 1 के पैरा 4 के उप–पैरा (2) में प्रावधान है कि किसी जनपद में लागत के आधार पर प्रारम्भ किये जाने वाले न्यूनतम 60% कार्य भूमि, जल एवं वृक्षों के विकास के माध्यम से सीधे कृषि एवं कृषि आधारित गतिविधियों से सम्बन्धित लाभकारी परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए किये जाएंगे।

उक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वायर क्रेट चैकवाल, सुरक्षा दीवार, घेरबाड़/तारबाड़/एकीकृत कार्य, भूमि विकास, खन्ती निर्माण (Contour trenching) चैकडैम, पुस्ता एवं जैविक कार्य, गैबियन संरचना, सुरक्षा दीवार, वर्मी कम्पोस्ट पिट, नेडेप पिट, स्पर, कच्चा तालाब, लूज बोल्डर, Micro watershed, पश्च कटाई सुविधाओं (Post harvest facilities) हेतु पक्का भण्डारण सुविधाएं (Pucca godown facilities) का सृजन आदि कार्यों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे– मृदा एवं जल संरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैविक कार्यक्रम, आई०डब्ल्यू०एम०पी०, पी०एम०के०एस०वाई०, जिला योजना एवं अन्य अनुमन्य योजनाओं के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से किया जा सकता है। इस हेतु महात्मा गांधी नरेगा एवं कृषि विभाग के केन्द्राभिसरण हेतु निम्न दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय–

- कृषि विभाग द्वारा योजना का चयन महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत अनुमन्य प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा तथा जनपद की महात्मा गांधी नरेगा की वित्तीय वर्ष 2018–19 की वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित करवाने हेतु मुख्य विकास अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव का विस्तृत आगणन सक्षम तकनीकी अधिकारी से

स्वीकृति उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक उपलब्ध प्रस्तावों पर महात्मा गांधी नरेगा के दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही करेंगे।

- विभागों द्वारा चयनित परियोजनाओं के विस्तृत आगणन प्राप्ति के पश्चात् महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अनुसार सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी अथवा जिलाधिकारी प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करेंगे।
- जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा नामित विभाग कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेंगे।
- कार्यस्थल पर कार्य, महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत पंजीकृत जॉब कार्ड धारकों द्वारा ही सम्पन्न कराया जायेगा जिस हेतु कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यक्रम अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी से मांग की जायेगी तद्नुसार कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों की सूची कृषि विभाग को उपलब्ध करा दी जायेगी।
- कृषि विभाग द्वारा श्रमिकों को 15 दिन के भीतर कार्य आवंटन न दिये जाने की स्थिति में कार्यक्रम अधिकारी, रोजगार के लिए आवेदन करने वाले श्रमिकों को किसी अन्य कार्य पर रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे।
- विभाग द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कार्य एक स्वतंत्र कार्य के रूप में होगा जिसका पृथक वर्क कोड होगा तथा इसी के अनुसार खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा कार्यदायी संस्था के अनुरोध पर eMR जारी किये जाएंगे। कृषि विभाग मस्टर रोल भर जाने पर अथवा कार्य की समाप्ति पर eMR को नरेगासॉफ्ट (MIS) में एन्ट्री किये जाने हेतु खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।
- महात्मा गांधी नरेगा द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि eFMS/PFMS/NeFMS के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में तथा कृषि विभाग द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि मुख्य कृषि अधिकारी (CAO)/सक्षम अधिकारी के माध्यम से सीधे कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
- रेखीय विभाग द्वारा कार्य की प्रगति प्रत्येक माह निर्धारित प्रारूप पर खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसे कार्यक्रम अधिकारी MIS में अद्यतन करेंगे।
- रेखीय विभाग द्वारा कार्यक्रम की जानकारी हेतु कार्यस्थल पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट के अनुसार निर्मित नागरिक सूचना पट्ट (CIB) शासनादेश संख्या 160/148/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2016–17 दिनांक 1 जून 2017 के अनुसार लगाया जायेगा।
- परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा तथा मशीनों का उपयोग किसी भी स्तर पर पूर्णतः प्रतिबन्धित है। इस प्राविधान का उल्लंघन आपराधिक कृत्य होगा।
- कार्य करते समय दुर्घटना से घायल व्यक्तियों की निःशुल्क चिकित्सा एवं अस्पताल भर्ती की स्थिति में आधी मजदूरी महात्मा गांधी नरेगा मद से उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत देय होगी।
- महात्मा गांधी नरेगा अन्तर्गत श्रमांश का अनुपात न्यूनतम 60 प्रतिशत तथा सामग्री अंश का अधिकतम अनुपात 40 प्रतिशत अनुमन्य है। कृषि विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से होने वाले कार्यों में श्रमांश का वहन महात्मा गांधी नरेगा से एवं सामग्री अंश का वहन यथासम्भव कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा।
- उपरोक्त कार्यों पर होने वाला व्यय महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों तथा कृषि विभाग द्वारा होने वाला व्यय विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशानुसार/प्रावधानों तथा

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।

- कृषि विभाग के साथ केन्द्राभिसरण के माध्यम से निर्मित होने वाले परिसम्पत्तियों की प्रगति का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा तथा मुख्य कृषि अधिकारी का होगा। साथ ही इसकी मासिक प्रगति से मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शासन को अवगत कराया जायेगा।
- केन्द्राभिसरण के माध्यम से किये जाने वाले प्रत्येक कार्य की geotagging महात्मा गांधी नरेगा प्रावधानों के अन्तर्गत सुनिश्चित की जाय। इसका उत्तरदायित्व जिला विकास अधिकारी/मुख्य कृषि अधिकारी का होगा।
- योजनान्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का महात्मा गांधी नरेगा एवं विभागीय योजना के दिशा–निर्देशानुसार सामाजिक सम्प्रेक्षण किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों तथा महात्मा गांधी नरेगा दिशा–निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(डॉ० राम बिलास यादव)
अपर सचिव
कृषि

भवदीया

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
ग्राम्य विकास

संख्याः 880/8–2/3(जी)/एम०जी०एन०आर०ई०जी०एस०/2009–10 तद्दिनांक

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, पौड़ी एवं कुमाऊँ, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3. अपर सचिव/निदेशक, कृषि विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
5. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिला विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव